भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1521
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में सामाजिक योजनाओं के तहत लाभार्थी

1521. श्री जी. सेल्वमः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार में आज की तारीख तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) सहित मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश के सभी गरीब लोगों के उत्थान के लिए मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सामाजिक योजनाओं का लाभ देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): तमिलनाडु राज्य में इस मंत्रालय के अधीन चलाई जा रही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) सहित विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत अब तक पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत राज्य में शुरूआत से पंजीकृत परिवारों की संख्या 92.22 लाख है।
ii. दिनांक 06.12.2023 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 2.95 करोड़ मकानों के समग्र लक्ष्य (तमिलनाडु को आवंटित 7,79,851 मकानों सहित) में से 2.94 करोड़ मकान पहले ही लाभार्थियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं (तमिलनाडु के 7,57,672 लाभार्थियों सहित) और 2.51 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य (तमिलनाडु के 5,83,813 मकानों सहित) पूरा हो चुका है।
iii. तमिलनाडु और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) सहित सभी 28 राज्यों के 742 जिलों के 7113 ब्लॉकों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक तमिलनाडु में कुल 3.34 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में 39.69 लाख परिवारों को शामिल किया जा चुका है।

iv. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत शुरूआत से अक्टूबर, 2023 तक 66,516 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 60,674 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है।

v. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के अंतर्गत शुरूआत से अक्टूबर, 2023 तक 271775 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 200047 अभ्यर्थियों ने स्व-रोजगार शुरू किया।

vi. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की योजना-वार उच्चतम सीमा (राज्य सीमा) निर्धारित की है। तमिलनाडु के लिए राज्य सीमा 2005691 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस राज्य सीमा में से 1951042 लाभार्थियों को एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित/पंजीकृत किया गया।

vii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- 2.0 के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 (दूसरी तिमाही तक) तक 14,146 किसान लाभान्वित हुए हैं।

viii. यह मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र सड़क संपर्क विहीन वसावटों को पूरे वर्ष चालू रहने वाली आवश्यक पुलियाओं तथा आर पार निकासी संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क द्वारा सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। यह लाभार्थी उन्मुख योजना नहीं है।

(ख): तमिलनाडु राज्य में जहां कहीं अनुप्रयोजनीय/रखा जाता हो वहां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों की धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): यह मंत्रालय इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है ताकि इनके लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों तक पहुँच पाएं। इस विषय में अपनाई गई कुछ प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

i. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विभिन्न स्तरों और फॉर्मेट वाली व्यापक व्यवस्था तैयार की है, जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्री अधिकारी योजनाएं, साझा समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव निर्धारण अध्ययन शामिल हैं। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं।

ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को एण्ड टू एण्ड अंतरण आधारित एमआईएस में शामिल किया गया है, जिससे सभी हितधारक वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी कर पाते हैं। कार्यों के जियो-टैग और टाइम्स स्टैम्प वाले फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के समस्त आंकडे पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध हैं।

iii. उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय ने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की है तथा वन विभाग की मंजूरी जैसी रुकावटों को दूर करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या बैंकों से आवश्यक सहयोग की व्यवस्था भी की है।

iv. महात्मा गांधी नरेगा योजना और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। मनरेगा कार्यों के विषय में यदि कोई शिकायतें प्राप्त हों तो उन पर कार्रवाई करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में शिकायत निपटान पर विधिवत ध्यान दिया जा रहा है।

v. राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारी भर्ती करने की सलाह दी जाती है। कर्मचारियों के संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक नियुक्त करने तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों में सहायता के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। समय-समय पर कार्यक्रम कार्मिकों के प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण की व्यवस्था भी की जाती है।

vi. प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन जैसे कि एरिया ऑफिसर ऐप विकसित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के ऐप विकसित किए गए हैं या किए जा रहे हैं। उनके अनुसार अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है

vii. निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस विषय में उन्हें समय पर सलाह दी जाती है। देरी के मामलों में निधियां जारी करने के अनुरोध के संबंध में उच्चतर स्तरों पर मामला उठाया जाता है।

viii. योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर से मांग को बढ़ावा देने के लिए महिला नेटवर्कों, सामुदायिक संगठनों और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाता है।

ix योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाए जाते हैं।

x राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एनएसएपी के अंतर्गत केंद्र सरकार के बराबर पूरक सहायता प्रदान करें।

xi. डीएवाई-एनआरएलएम में यह सुनिश्चित किया जाता है कि गरीबों को अपनी संस्थाओं के प्रबंधन, उन्हें बाजारों से जोड़ने, अपनी मौजूदा आजीविकाओं के प्रबंधन, ऋण का उपयोग करने की अपनी क्षमता बढ़ाने तथा ऋण पाने की अपनी योग्यता बढ़ाने इत्यादि के संबंध में अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लक्षित परिवारों, एसएचजी, उनके संघों, सरकारी कर्मियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के निरंतर क्षमता विकास के बहुद्देश्य दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। एसएचजी और उनके संघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक व्यवसायी तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति तैयार करने तथा उन्हें नियुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने तथा क्षमता निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

xii. एसएचजी और उनके संघों को परिक्रामी निधि (आरएफ) तथा सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएसएफ) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे आय अर्जन के लिए आर्थिक कार्यकलाप शुरू कर सकें।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1521 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधियों की धनराशि का ब्यौरा

1. **महात्मा गांधी नरेगा योजना**

नरेगासॉफ्ट के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**किया गया व्यय (राज्य अंश सहित)**
2020-21	8434.85
2021-22	9795.62
2022-23	11420.93

2. **पीएमएवाई-जी**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में जारी किए गए केंद्रीय अंश/तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**जारी किया गया केंद्रीय अंश/उपयोग**
2020-21	672.61
2021-22	668.86
2022-23	2290.47

3. **पीएमजीएसवाई**

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**किया गया व्यय (राज्य अंश सहित)**
2020-21	626.92
2021-22	1169.56
2022-23	532.36

4. **डीएवाई-एनआरएलएम**

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय रिलीज**
2020-21	28924..96
2021-22	38148.01
2022-23	38157.33

5. **डीडीयू-जीकेवाई**

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**उपयोग की गई निधि**
2020-21	76.55
2021-22	25.44
2022-23	57.54

(स्रोत:-डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से प्राप्त आंकड़े)

6. **आरएसईटीआई**

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**उपयोग की गई निधि**
2020-21	5.36
2021-22	0.32
2022-23	5.54

(स्रोत:-आरएसईटीआई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से प्राप्त आंकड़े)

7. **एनएसएपी**

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय रिलीज**
2020-21	32721.28
2021-22	84192.43
2022-23	57878.86

8. **डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई**

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**केंद्रीय रिलीज**
2020-21	10.75
2021-22	42.84
2022-23	42.955

******